राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र संख्या 03 / 2024, **GCMS NO. 2024/92**

प्रार्थी–

1. श्रीमती बसन्ती देवी पत्नी बाबुलालजी जाति ओसवाल, निवासी पादरू, तहसील सिवाना, जिला बालोतरा।

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. श्री सरपंच ग्राम पंचायत पादरू, तहसील सिवाना, जिला बालोतरा।
2. श्री सम्पतराज पुत्र नेमीचन्द जाति ओसवाल, निवासी पादरू, तहसील सिवाना, जिला बालोतरा।

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 13 दिनांक 05.06.2014 जो अप्रार्थी संख्या 2 के नाम ग्राम पंचायत पादरू द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री भुपेन्द्र गहलोत, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 2 बावजुद सूचना अनुपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 1 प्रफॉर्मा पक्षकार।

निर्णय

दिनांकः 17.03.2026

1. प्रार्थी की ओर से यह निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत पादरू द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के नाम जारी पट्टा संख्या 13 दिनांक 05.06.2014 के विरूद्ध दिनांक 19.06.2024 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थीनी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम पंचायत पादरू द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 के नियम के तहत मौजा पादरू में ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का पट्टा संख्या 13 दिनांक 05.06.2014 को जारी किया गया। उक्त पट्टे को जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम के प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने से उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलू की जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

जिला कलक्टर
बालोतरा

3. प्रार्थीनी की निगरानी दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ ग्राम पंचायत पादरू से निगरानीधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।

4. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस में यह कथन किया कि प्रार्थीनी का कब्जा, खरीद सुदा मालिकाना हक स्वामित्व उक्त आलोच्य भूखण्ड मौजा पादरू की आबादी भूमि थानाणियों का वास में आया हुआ हैं। जिसका बेचाननामा हरकचन्दजी द्वारा निगराकार के हक में तकमिल किया गया व उप पंजियक सिवाना मे पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3 कम संख्या 322/02 पृष्ठ संख्या 122 पर दिनांक 31.05.2002 को पंजीबद्ध किया गया था। उक्त भूखण्ड के वक्त खरीद चारो तरफ खण्डो की चार दिवारी बनी हुई थी व भूखण्ड मे पुराने ठांव कच्चे ओरे बने हुए थे व बदिशा उत्तर व पश्चिम की तरफ गेट लगाया हुआ था। उक्त वादग्रस्त भूखण्ड को हरकचन्दजी द्वारा निगराकार को बेचान किया गया, उससे पूर्व अनिगराकार सं. 1 ग्राम पंचायत पादरू के तत्कालीन सरपंच द्वारा भूखण्ड के हकपूर्वाधिकारी हरकचन्द पुत्र मिसरीमलजी के नाम से स्वामित्व का प्रमाण पत्र कमांक 01/202–203 दिनांक 01.04.2002 को जारी किया गया था एवं उक्त भूखण्ड को हरकचन्दजी द्वारा बेचान आदि किये जाने पर ग्राम पंचायत पादरू को कोई आपत्ति नही होने के सम्बंध मे उक्त प्रमाण पत्र जारी किया गया था। उक्त भूखण्ड पर प्रार्थीनी का कब्जा होने व मालिकाना हक स्वामित्व होने के सम्बंध मे अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम पंचायत पादरू के तत्कालीन सरपंच द्वारा स्वामित्व का प्रमाण पत्र कमांक 15/2002–2003 दिनांक 07.06.2002 को जारी किया गया था। प्रार्थीनी के पांच जायन्दा पुत्र सुरेश कुमार, राणमल, राजकुमार, जितेन्द्र कुमार व संतोष कुमार हैं, जो कि पिछले कई सालो से हेदराबाद मे अपना व्यापार धन्धा करते हैं। प्रार्थीनी के द्वारा उक्त जायदाद को वर्ष 2003 में दी बाड़मेरं सेन्ट्रल को–आपरेटिव बैंक लि. शाखा पादरू से सीसी ऋण प्राप्त किया गया था, जिसके एवज मे प्रार्थीनी ने उक्त जायदाद को बैंक के पक्ष में मार्टगेज रखी थी। प्रार्थीनी अपने पुत्रो के साथ हेदराबाद में रहती थी। अप्रार्थी संख्या 2 ने अप्रार्थी संख्या 1 के साथ प्रार्थीनी के भूखण्ड को हड़पने की सांजिश रचते हुए अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थीनी के भूखण्ड के कब्जा, हक स्वामित्व के दस्तावेजों की जांच किये बिना उक्त भूखण्ड का पट्टा संख्या 13 बुक संख्या 57 मिसल संख्या 313/2014–15 के अनुसरण मे दिनांक 05.06.2014 को अप्रार्थी संख्या 2 के नाम से जारी किया गया। उक्त पट्टा विलेख जारी करने मे अप्रार्थी संख्या 1 ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 मे बताये नियम 145 से 158 तक के किसी भी नियम की पालना नहीं की गई। अप्रार्थी

जिला कलक्टर बालोतरा

संख्या 2 का वादग्रस्त भूखण्ड पर कभी कोई कब्जा नही रहा, न ही उसका कोई हक स्वामित्व ही रहा है। बावजूद उसके अप्रार्थी संख्या 1 ने राजस्थान पंचायत राज अधिनियम के पट्टा जारी करने से सम्बंधी नियमों की अनदेखी करके उक्त पट्टा जारी किया हैं। उक्त पट्टा संख्या 13 जो कि नियम 157 (1) के तहत जारी किया गया हैं, जो कि गलत तौर से जारी किया गया हैं। उक्त प्रावधान के अनुसार आवंटी का 50 वर्ष से पुराना कब्जा होना आवश्यक हैं, जबकि अप्रार्थी संख्या 2 का वादग्रस्त भूखण्ड पर 50 वर्षों से अधिक समय से कोई कब्जा नही रहा हैं और न वर्तमान में हैं। ग्राम पंचायत द्वारा आलौच्य पट्टा जारी करने से पूर्व राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत किसी प्रकार की सार्वजनिक सूचना या नोटिस भूखण्ड व आम चौराहे पर चस्पा नही किया गया, मात्र कागजी कार्यवाही करते हुए आलौच्य पट्टा जारी किया गया हैं। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में आलोच्य पट्टा जारी करते समय पंचायतीराज नियमों की पालना नहीं की गई है। अतः प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर ग्राम पंचायत पादरू द्वारा अप्रार्थी के पक्ष मे जारी पटटा संख्या 13 दिनांक 05.06.2014 को निरस्त करने के आदेश फरमावे।

5. अप्रार्थी संख्या 2 को जारी नोटिस तामिल अदम तामिल प्राप्त होने पर पुनः तलबी हेतु अखबार में साया करवाया गया, जो तामिल पूर्ण होने के बावजुद भी दौराने बहस अनुपस्थित रहे। अप्रार्थी संख्या 2 को इस प्रकरण के निगरानी में प्रार्थी द्वारा उल्लेखित तथ्यों एवं आधारों पर अपना जवाब/बहस कथन प्रकट करने हेतु सम्यक अवसर प्रदान किया गया। इसके बावजूद अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा जवाब/कोई लिखित बहस अथवा दौरान सुनवाई अभिकथन नहीं करने पर प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

6. हमने पत्रावली में प्रार्थीनी के अधिवकता की बहस सुनी, बहस उपरांत पत्रावली का अवलोकन किया एवं मनन किया गया तथा अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाया कि ग्राम पंचायत पादरू द्वारा पंचायत की बैठक में संकल्प संख्या 02/05.06.2014 के अनुपालना में आलौच्य पट्टा संख्या 13 दिनांक 05.06.2014 को अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी किया गया है। प्रार्थीनी द्वारा ग्राम पंचायत पादरू की ओर से जारी आलौच्य पट्टा के विरूद्ध यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। प्रार्थीनी की मुख्य आपत्ति हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम पंचायत द्वारा पंचायतीराज नियम की अवहेलना करते हुए अप्रार्थी संख्या 2

जिला कलक्टर
बालोतरा

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बालोतरा (राजस्थान)

के पक्ष में आलोच्य पट्टा संख्या 13 जारी किया गया है। इस संबंध में अधीनस्थ ग्राम पंचायत पादरू से उक्त पट्टे संबंधित मूल अभिलेख तलब किया गया, जिसमें अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष 40 वर्षों का कब्जा बताते हुए आवेदन प्रस्तुत किया गया, लेकिन आवेदन कब दिया, का कोई अंकन नहीं पाया गया और न ही आवेदन के साथ अपने स्वामित्व की पुष्टि हेतु कोई साक्ष्य प्रस्तुत किए है तथा पत्रावली के संलग्न शपथ पत्र में आवेदनकर्ता की उम्र भी अंकित नहीं होना पाया और शपथ पत्र आलोच्य पट्टा जारी होने के पश्चात् संलग्न किए गए होना पाया गया। साथ ही गवाह के बयान फार्म में भी गवाहों की उम्र अंकित नहीं है और न ही बयान फार्म में कितने वर्षों का कब्जा है, अंकित है। इससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि अप्रार्थी संख्या 2 का उक्त आलोच्य भूखण्ड पर कब्जा कितने वर्षों का कब्जा है। मूल आलोच्य पटटे में क्रेता के हस्ताक्षर भी नहीं होना पाया गया और न ही दर्ज दिनांक अंकित होना पाया गया। ग्राम पंचायत से उक्त पट्टा से सम्बन्धित अभिलेख अवलोकनार्थ एवं परीक्षण हेतु तलब किये जाने पर ग्राम पंचायत पादरू के पत्रांक में अवगत कराया गया हैं कि उक्त आलोच्य पट्टा संबंधित बैठक कार्यवाही रजिस्टर ग्राम पंचायत कार्यायल में उपलब्ध नहीं हैं। अलावा इसके ग्राम पंचायत की मिसल आदेशिका, मौका रिपोर्ट वगैरा बिना प्रारूप के साथ जारी की गई होना, पाया गया। इस प्रकार पंचायत बैठक कार्यवाही रजिस्टर के अभाव में एवं अपूर्ण मिसल से आलौच्य पट्टा संदिग्ध होना जाहिर होता है। अप्रार्थी संख्या 2 ने अपने स्वामित्व आधिपत्य का कोई ठोस साक्ष्य अधीनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली में पेश नहीं किये गये है। हस्तगत प्रकरण में उक्त आलोच्य पट्टा संख्या 13 दिनांक 05.06.2014 जारी करने में पंचायतीराज नियमों की पूरी प्रक्रिया नहीं अपनाये जाने से, रेकर्ड के अभाव से एवं पैतृक स्वामित्व की पुष्ठि हेतु साक्ष्य नहीं होने से संदिग्ध होना जाहिर होता है। जिससे अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा आलोच्य पट्टा जारी किया गया है, जिसमें पंचायतीराज नियमों के तहत विधिसम्मत एवं स्पष्टता प्रमाणित नहीं होती है। इस प्रकार अधिनस्थ ग्राम पंचायत पादरू अप्रार्थी संख्या 1 ने राजस्थान पंचायतीराज नियमों में प्रावधित प्रावधानों के विपरित जाकर तथा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आलोच्य पटटा संख्या 13 दिनांक 05.06.2014 को जारी किया है, निरस्त योग्य पाया जाता है।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 1 सरपंच ग्राम पंचायत पादरू द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के नाम जारी पटटा संख्या 13 दिनांक 05.06.2014

जिला कलक्टर
बालोतरा

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बालोतरा सत्यमेव जयते

को जारी किया गया, को राजस्थान पंचायतीराज नियम के प्रावधित विधिक प्रावधानों के विपरित होने से एवं विधिसम्मत नहीं होने से उक्त आलोच्य पट्टा निरस्त किये जाते है। अधिनस्थ ग्राम पंचायत का विलेख निर्णय की प्रति के साथ अविलम्ब प्रेषित हो।

8. निर्णय आज दिनांक 17.03.2026 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(पुखराम चौधरी)
जिला कलक्टर, बालोतरा

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बालोतरा सत्यमेव जयते